कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-21.12.2024

गेल गैस कनेक्शन अपडेट कराने के नाम पर रिमोट एक्सेस एप के माध्यम से वादिनी से ठगे गये 11,18,300/- रूपया साइबर थाना द्वारा कराये गये वापस-

दिनाक 12.12.2024 को वादिनी मुकदमा सुनीता तिवारी पत्नी ओम प्रकाश तिवारी-पता , एन 6/13-आर-बी-1)उमा प्रेम नेत्रालय के पास(, सुन्दरपुरथाना , चितईपुर, वाराणसी द्वारा थाना हाजा पर उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि उनके साथ फर्जी व्हाट्सएप नम्बर से सम्पर्क कर उनका घरेलू गैस कनेक्शन अपडेट कराने के नाम पर रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन के माध्यम से उनके मोबाइल का अवैध रूप से एक्सेस प्राप्त कर उनके साथ कुल 1298920.रुपये 47.की साइबर ठगी कर ली गयी है जिसके सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 / 125 2024 धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता व एक्ट .टी .डी आई66.दर्ज किया गया। जिसकी विवेवना निरीक्षक विपिन कुमार द्वारा की जा रही है।

उक्त प्रकरण के दृष्टिगत ***श्री मोहित अग्रवाल पुलिस आयुक्त कमि0 वाराणसी एवं श्री प्रमोद कुमार पुलिस उपायुक्त अपराध कमि0 वाराणसी के निर्देशन मे तथा सुश्री श्रुति श्रीवास्तव अपर पुलिस उपायुक्त कमि0 वाराणसी व श्री गौरव कुमार सहायक पुलिस आयुक्त कमि0 वाराणसी*** के नेतृत्व मे एक टीम का गठन कर उक्त घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम मे थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा उक्त घटना मे त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंकिंग संस्थान, पेमेन्ट गेटवे आदि से सम्पर्क करते हुए वादिनी मुकदमा से ठगे गये पैसों मे से ***11,18,300/- रूपया*** वापस कराया गया है।

सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- निरीक्षक विपिन कुमार, साइबर क्राइम थाना कमिश्नरेट वाराणसी ।
- उ0नि0 सतीश सिंह, साइबर क्राइम थाना कमिश्नरेट वाराणसी ।
- का0 सूर्यभान सिंह, साइबर क्राइम थाना कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, अपराध
कमिश्नरेट वाराणसी।